

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, हजारीबाग/देवघर/मेदिनीनगर ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 19-12-13

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-66-नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन की मरम्मत विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43 अनुरक्षण मरम्मत एवं सुसज्जीकरण कार्य, विपत्र कोड 49P470180789660543 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में निधि का आवंटन।

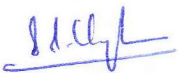
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना/ 66- नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन की मरम्मत	05-निर्माण, 43 अनुरक्षण मरम्मत एवं सुसज्जीकरण 49P470180789660543	151.817

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ एकावन लाख एकासी हजार सात सौ मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-2014 के बजट उपबंध रु. 740.00 लाख (सात करोड़ चालीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(एम०एस० चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 फरवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

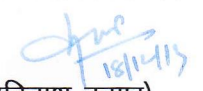
166

राँची, दिनांक :-

19-12-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/हजारीबाग/देवघर/मेदिनीनगर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

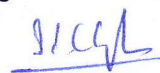
166

राँची, दिनांक :-

19-12-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(एम.एस. चौधरी)
उप सचिव (अभि.)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(अविनाश कुमार)
सचिव

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटित राशि			उपयुक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आबंटन	अतिरिक्त आबंटन	कुल आबंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर	मेदिनीनगर	भवनों का संधारण एवं नये भवनों का निर्माण कार्य।	35/12-13 प्र०स्वी० दिनांक- 27.02.2013	578.49222	0.000	20.000	28.840	48.840	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर का कार्यालय मरम्मति कार्य मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के आवास का मरम्मति एवं संपोषण कार्य कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल मेदिनीनगर का आवास मरम्मति कार्य जलपथ शिविर मेदिनीनगर में स्थित ई०-टर्ईय क्वार्टर सं०-26 आवास का मरम्मति कार्य जलपथ अवर प्रमंडल, वंदवा शिविर मेदिनीनगर कार्यालय भवन का मरम्मति कार्य जलपथ अवर प्रमंडल नगर ड्रैटरी शिविर मेदिनीनगर के कार्यालय भवन की मरम्मति एवं संपोषण कार्य अधीक्षण अभियंता, कदवन बाँध अंचल, गढ़वा शिविर मेदिनीनगर के कार्यालय भवन एवं गेट का मरम्मति कार्य लेखा पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर का कार्यालय भवन का मरम्मति कार्य तकनीकी सलाहकार कदवन बाँध अंचल, गढ़वा शिविर मेदिनीनगर के आवास का मरम्मति कार्य
योग							20.000	28.840	48.840	
कुल योग							96.300	151.817	248.117	

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ एकावन लाख एकासी हजार सात सौ मात्र।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(एम०एस० चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(अविनाश कुमार)
सचिव

166
19-12-13

विभागीय पत्रांक.....

दिनांक

19-12-13

का अनुलनक

परशिष्ट-1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिय्य, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष -789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना

उप शीर्ष -66-नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन की मरम्मति

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43 अनुसूक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण

49P470180789660543

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट उपबंध 740.00 लाख (सात करोड चालीस लाख) रुपये मात्र।

(राशि लाख रु. में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग		2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटित राशि			अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आबंटन	अतिरिक्त आबंटन	कुल आबंटन	
1	जलपथ प्रमंडल हजारीबाग	हजारीबाग	भवनों का संधारण एवं नये भवनों का निर्माण कार्य।	35 / 12-13 प्र०स्वी० दिनांक- 27.02.2013	578.49222	0.000	4.000	0.000	4.000	दीपुगढा सिंचाई शिविर हजारीबाग के ई०एफ०जी० टाइप आवासों, अंचल कार्यालय एवं निरीक्षण भवन की मरम्मत का कार्य
						20.000	60.000	40.000	80.000	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के कार्यालय भवन का निर्माण
						20.000	40.000	60.000	60.000	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के आवास का निर्माण कार्य
योग						44.000	100.000	144.000		
						1.200	1.279	0.595	2.479	सिंचाई प्रमंडल कार्यालय भवन जसीडीह शिविर देवघर का मरम्मत का कार्य
						0.500	0.595	1.095	1.095	सिंचाई प्रमंडल कार्यालय भवन देवघर का मरम्मत का कार्य
						1.000	0.646	1.646	1.646	डैम डिजीजन कार्यालय भवन देवघर का मरम्मत का कार्य
						4.000	3.272	7.272	7.272	सिंचाई शिविर देवघर के अधीन सी०-टार्डप आवास भवन की मरम्मत का कार्य
						4.000	3.373	7.373	7.373	सिंचाई शिविर देवघर के अधीन सी०-1 एवं सी०-2 टार्डप आवास भवन की मरम्मत का कार्य
						2.000	1.425	3.425	3.425	सिंचाई शिविर देवघर के अधीन बी०-1 टार्डप आवास भवन की मरम्मत का कार्य
						2.000	1.493	3.493	3.493	सिंचाई शिविर देवघर के अधीन डी०-1, डी०-2 एवं डी०-3 टार्डप आवास भवन की मरम्मत का कार्य
						6.000	4.610	10.610	10.610	सिंचाई शिविर देवघर के अधीन ई० टार्डप आवास भवन की मरम्मत का कार्य
						4.000	1.975	5.975	5.975	सिंचाई शिविर देवघर के अधीन एफ० टार्डप आवास भवन की मरम्मत का कार्य
						2.000	1.550	3.550	3.550	सिंचाई शिविर देवघर के अधीन एच० टार्डप आवास भवन की मरम्मत का कार्य
						0.600	0.345	0.945	0.945	गैरेज, स्टोर एवं रेस्ट शेड का मरम्मत का कार्य
						0.600	0.454	1.054	1.054	गुण नियंत्रण प्रमंडल के कार्यालय भवन का मरम्मत का कार्य
						3.000	1.110	4.110	4.110	रूपकण प्रमंडल-2 एवं 4 के कार्यालय भवन की मरम्मत का कार्य
						0.400	0.138	0.538	0.538	सिंचाई अवर प्रमंडल 3 एवं 4 के कार्यालय भवन की मरम्मत का कार्य
						1.000	0.712	1.712	1.712	स्थलवे अवर प्रमंडल एवं सिंचाई अवर प्रमंडल-1 एवं 2 के कार्यालय भवन का मरम्मत का कार्य
योग						32.300	22.977	55.277		

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता(रम०एस० चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)(अविनाश कुमार)
सचिव